I/36404/2022

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश–171001
Shimla, Himachal Pradesh – 171001

ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
0177-2652541
फैक्स/Fax: 0177-2657517

Dated: 21.12.2022

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आमर्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
(e-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषयः **Diversion of 2.4264 ha of forest land in favour of District Youth Services & Sports Hamirpur, HP, for the construction of National Centre of Excellance at Hamirpur, within the jurisdiction of Hamirpur Forest Division, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Others/152523/2022).**

सन्दर्भः Online Proposal No. FP/HP/Others/152523/2022 uploaded by State Government vide letter No. Ft. 48-5644/2022 (FCA) dated 18.10.2022.

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए), हिoप्रo के पत्र दिनांक 28.03.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 04.11.2022 को आहुत बैठक में संस्तुति एवम् प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वीकृति के उपरांत प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार **Diversion of 2.4264 ha. of forest land in favour of District Youth Services & Sports Hamirpur, HP, for the construction of National Centre of Excellance at Hamirpur, within the jurisdiction of Hamirpur Forest Division, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage I Approval)** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा **5 ha वन भूमि, P11 Sathwin C4, Bijhari Forest Range, Hamirpur Forest Division, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh** में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। जहां तक व्यावहारिक हो , स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रणाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।

I/36404/2022

(ग) Penal CA shall be raised over degraded forest land, double in extent to the forest land of 0.27 ha used for the construction of road in 2007 without prior approval of Central Government. Accordingly, User Agency shall deposit funds in CAMPA account for raising Penal CA. The Penal CA scheme, Digital Map, Land Suitability Certificate along with a certificate by DFO concerned that no plantation work under any scheme in the land selected for raising Penal CA has been carried out in past shall be submitted.

(घ) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर , यदि आवश्यक हो , तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण , सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4. **शुद्ध वर्तमान मूल्यः**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol.-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **2.4264** हे o वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि , यदि कोई हो , जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो , को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा **IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995** में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत् भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।

6. The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

7. **The State Government shall elaborate the component wise break up as discussed during REC meeting and submit the revised layout accordingly.**

8. **The State Government shall undertake penal action under the relevant statutes against the unauthorized use of deemed forest land for the construction of Mahila Mandal Bhawan, Patwar Bhawan and HPPWD road without prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980.**

9. **The State Government will constitute a Committee chaired by the Nodal Officer (FCA), HPFD to submit a detailed report on violation and name of responsible officials for use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of the Central Government under the provisions of FCA, 1980.**

10. **As the permission for the use of forest land for non-forestry purpose has been granted by the State Authorities without prior approval of the Central Government under section 2 of FCA, 1980, therefore, necessary action shall be taken up by the IRO, Shimla against the responsible officials**

I/36404/2022

after submission of detail report and names of the responsible Officials of concerned departments by the Committee as constituted under the direction in point no.- 09 above.

11. The State Forest Department shall constitute a Committee comprising Range Officer and User Agency, headed by the DFO concerned. The Committee shall examine the execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis after exploring the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. He will submit a list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained.
12. Since large number of trees are being affected in the proposal and proposed diversion area is slight sloppy, therefore Soil and Moisture Conservation Plan along with cost of its implementation as per Ministry's direction vide letter FC-11/43/2021-FC dated 07.06.2022 is required to be submitted.
13. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain करें।
14. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **194 Trees, 27 bamboo clumps and 25 Saplings** से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
16. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
17. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएंगे।
18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार , प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
20. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार , प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
23. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
24. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
25. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
26. पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
27. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
28. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।

I/36404/2022

29. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42 / 2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघन कर्ता पर कार्रवाई होगी।
30. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

Signed by Gobind Sagar Bhardwaj
Date: 21-12-2022 12:52:52
Reason: Approved

ह०/-
(जी.एस.भारद्वाज)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली (E-mail: adgfc-mef@nic.in).
2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (E-mail: rohq-mefcc@gov.in).
3. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
4. आदेश पत्रावली।